न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 232/2023 तारीख रजू:— 19.12.2023

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर
R.A.S.

1. रूपसिंह	पिसरान किशन
2. मदनलाल	जाति खटीक
3. अर्जुन	निवासी घौंसला
4. संजय	तहसील हिण्डौन
5. योगेन्द्र	जिला करौली राजस्थान

6. श्रीमती अंगूरी पुत्री किशन पत्नि रामोतार जाति खटीक निवासी घौंसला थाना वामन बडौदा तहसील गंगापुर सिटी

7. उषा पुत्री किशन पत्नि प्रकाश जाति खटीक निवासी घौंसला हाल निवासी वामन बडौदा तहसील गंगापुर जिला गंगापुर सिटी ———————————— सायलान

बनाम

1. पूरन	पिसरान दयाचंद जाति खटीक,
2. रामप्रसाद	निवासी घौंसला, तहसील हिण्डौन,
3. रामलाल	जिला करौली, राजस्थान
4. जीवन	

5. श्रीमती धूपी पत्नि दयाचंद जाति खटीक निवासी घौंसला तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राजस्थान

6. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—1. श्री मुरारीलाल करसौलिया एडवोकेट सायलान

2. श्री विजय सिंह एडवोकेट गैरसायल सं01,2,5

निर्णय

दिंनाक :— 10.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ने गैरसायलान एवं मूल वाद के प्रतिवादीगण सं0 6,7 के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी वाद पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय अदालत में पेश कर दिया है।जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 497 के खसरा नंबर 1827 रकबा 44 ऐयर, खसरा नंबर 1830 रकबा 10 ऐयर, खसरा नंबर 1887 रकबा 62 ऐयर, खसरा नंबर 1912 रकबा 20 ऐयर, कुल किता चार कुल रकबा 1.36 हेक्टर भूमि वाके ग्राम घोंसला तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राजस्थान में स्थित है, जिसमें सायलान के पिता स्वर्गीय श्री झूत्या जाति खटीक निवासी घोंसला तहसील हिण्डौन सिटी 1/3 का खातेदार काश्तकार था। जिसकी दिनांक 13.08.2000 को मृत्यु हो चुकी है। सायलान के अलावा किशन का अन्य कोई वैधानिक वारिसान नहीं है। सायलान अपने पिता की चल व अचल संपत्ति के लीगल वारिसान हैं तथा तर्के पर काबिज हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात भूमि में गैरसायलान एवं मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का पिता व पति स्व. दयाचंद पुत्र झूत्या तथा विज्या पुत्र झूत्या 1/3, 1/3 के खातेदार कास्तकार थे।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि विज्या पुत्र झूत्या का विवाह नहीं हुआ, इस कारण विज्या लाऔलाद दिनांक 09.06.1995 को फौत हो गया। सायलान तथा गैरसायलान संख्या 1 ता 5 व मूल वाद के प्रतिवादी सं0 6,7 के अलावा विज्या का कोई भी लीगल वारिसान नहीं है। इस कारण विज्या पुत्र झूत्या खटीक की उक्त आराजीयात भूमि के भाग 1/3 की अपने खातेदारी घोषित करवाने के सायलान तथा गैरसायलान संख्या 1 ता 5 व मूल वाद के प्रतिवादी सं0 6,7 अधिकारी हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि सायलान तथा गैरसायलान संख्या 1 से 5 व मूल वाद के प्रतिवादी सं0 6,7 का सजरा निम्न प्रकार से है :– जिसमें झूत्या के तीन लडके किशन (फौत), दयाचंद (फौत), विज्जा (अविवाहित फौत), तथा किशन (फौत) के वारिसान प्रार्थनाामी (पत्नि फौत), एवं पांच पुत्र रूपसिंह मदनलाल अर्जुनसिंह संजय योगेन्द्र व दो पुत्री अंगूरी ऊषा हैं, दयाचंद (फौत) के वारिस उसकी पत्नि धूपी, एवं चार पुत्र पूरन रामप्रसाद रामलाल जीवन एवं दो पुत्री गीता सीता हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि सायलान के पिता की मृत्यु के बाद दिनांक 13.09.2018 को सायलान की माँ श्रीमती बादामी भी फौत हो चुकी है। सायल संख्या 1 अपने गाँव घोंसला में रहकर मेहनत मजदूरी करता है, तथा अन्य सायलान दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं, तथा कम पढ़े लिखे हैं। इस कारण अपने पिता के हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

की भूमि का दाखिला पिता की मृत्यु के समय नहीं करवा सके। इस कारण उक्त आराजीयात भूमि की खातेदारी हिस्सा 1/3 सायलान के पिता के नाम चली आ रही है। जिसकी खातेदारी सायलान के नाम किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा विज्या पुत्र झूत्या जो कि सायलान का ताऊ था अविवाहित खत्म हो गया। उसके सायलान कानूनी वारिसान होने के अनुसार विज्या के हिस्से 1/3 की भूमि का 1/2 भाग की भूमि की खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी होने के कारण सायलान को विज्या के हिस्से की भूमि 1/3 भाग में से 1/2 भाग हिस्से की भूमि के खातेदार कास्तकार सायलान को घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि गैरसायलान संख्या 1 लगायत 5 बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, जो सायलान के हिस्से की उक्त आराजीयात भूमि को जबरन लाठी के बल पर हड़पना चाहते हैं जबकि सायलान सीधे सादे मजदूर व्यक्ति हैं, जो बाहर रहकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। सायलान का एक भाई रूप सिंह गाँव घोंसला में रहकर अपनी व अपने भाइयों के हिस्से की भूमि पर खेती व मजदूरी कर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। लेकिन गैरसायलान संख्या 1 लगायत 5 आये दिन सायलान से लड़ाई झगड़ा कर सायलान की भूमि में शांति पूर्वक तरीके से खेती नहीं करने देते हैं। किसी ना किसी प्रकार सायलान को हैरान परेशान करते रहते हैं। यदि गैरसायलान अपने मंसूबों पर कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। सायलान के बाल बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी तथा सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि दिनांक 19.10.2023 को गैरसायलान संख्या 1 से 5 ने सायल रूपसिंह व उसकी पत्नी बच्चों की मारपीट कर उक्त आराजीयात भूमि को लेकर की, जिसका मुकदमा पुलिस थाना नईमण्डी हिंडौन पर जेरे तफतीश है। सायलान ने गैरसायलान संख्या 1 ता 7 को समझाने का भरसक प्रयास कर लिया, लेकिन गैरसायलान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जबरदस्ती सायलान के हिस्से की भूमि को लाठी के बल पर हड़पना चाहते हैं तथा सायलान को उनके वैधानिक हिस्से को देने से मना कर दिया। यदि गैरसायलान अपने गैरकानूनी मंसूबों में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी भी सम्भव नहीं होगी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ ।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये टी.आई. पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है, यदि पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से कर पाना सम्भव नहीं हो सकेगा। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन सायलान के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द किया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान, सायलान को खाता संख्या नया 497 के अनुसार खसरा नम्बर 1827 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 1830 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1887 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 1912 रकबा 0.20 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन को वादग्रस्त आराजीयात में उनके हिस्से की आराजीयात में काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे। सायलान को बेदखल नहीं करे, तथा वादग्रस्त भूमि का विधिक बंटवारा होने से पहले वादग्रस्त भूमि का कोई भाग रहन वय तथा हस्तान्तरण नहीं करे तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे सायलान के हक व हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं0 1,2,5 की ओर से श्री विजयसिंह एडवोकेट ने उपस्थित होकर मूल दावा में बकालतनामा पेश किया है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में भी अपनी उपस्थिति दी। किन्तु जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 08107005220005500021/18 जारी दिनांक 03.11.2018, मृत्यु दिनांक 13.09.2018 मृतक बादामी पत्नि किशन निवासी घौंसला तहसील हिण्डौन, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 187 जारी दिनांक 08.09.2000, मृत्यु दिनांक 13.08.2000 मृतक किशनलाल पुत्र झूतियाराम मृत्यु का स्थान ई–7/261 संगम विहार न.दि., फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 798756987167 रूपसिंह पुत्र किशन निवासी घौंसला तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 530968966771 ऊषा पत्नि ओमप्रकाश निवासी डी–561, जे जे केम्पस टिगरी दक्षिण दिल्ली–110062, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 706500641245 अंगूरीदेवी पत्नि रामअवतार, मकान नं0 354, ब्लॉक जे–पहला, गली नम्बर 3, पीपल चौक के पास संगम विहार देओली, दक्षिण दिल्ली–110062, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 388699321149 मदनलाल पुत्र किशनलाल निवासी जे–2–146, मदनगीर, डॉ0 अम्बेडकर नगर साउथ दिल्ली–110062, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

878942738398 जोगिन्द्र सिंह पुत्र किशनलाल निवासी मकान नं0 ई–6ए/242, संगम विहार,साउथ दिल्ली–110062, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 441741981977 संजय कुमार पुत्र किशनलाल निवासी मकान नं0 252, ब्लॉक ई, स्ट्रीट नम्बर 6ए संगम बिहार, देओली साउथ दिल्ली–110062, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 614259514490 अर्जुन सिंह पुत्र किशनलाल निवासी ई–6ए/272/बी ग्राउण्ड फ्लोर, संगम बिहार, साउथ दिल्ली, देवली, साउथ दिल्ली–110080, पेश किये हैं।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1827 रकबा 0.44 है0, 1830 रकबा 0.10 है0, 1887 रकबा 0.62 है0, 1912 रकबा 0.20 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन की खातेदारी किशन पुत्र झूत्या हि0 1/3, दयाचंद पुत्र झूत्या हि0 1/3, विज्या पुत्र झूत्या हि0 1/3 जाति खटीक सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 08107005220005500021/18, जारी दिनांक 03.11.2018 मृत्यु दिनांक 13.09.2018 मृतक बादामी पत्नि किशन निवासी घौंसला तहसील हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 187 जारी दिनांक 08.09.2000, मृत्यु दिनांक 13.08.2000 मृतक किशनलाल पुत्र झूतियाराम मृत्यु का स्थान ई–7/261 संगम विहार न.दि. के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 798756987167 रूपसिंह पुत्र किशन निवासी घौंसला तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 530968966771 ऊषा पत्नि ओमप्रकाश निवासी डी–561, जे जे केम्पस टिगरी दक्षिण दिल्ली–110062 के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 706500641245 अंगूरीदेवी पत्नि रामअवतार, मकान नं0 354, ब्लॉक जे– पहला, गली नम्बर 3, पीपल चौक के पास संगम विहार देओली, दक्षिण दिल्ली–110062 के नाम से जारी किया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 388699321149 मदनलाल पुत्र किशनलाल निवासी जे–2– 146, मदनगीर, डॉ0 अम्बेडकर नगर साउथ दिल्ली–110062 के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 878942738398 जोगिन्द्र सिंह पुत्र किशनलाल निवासी मकान नं0 ई–6 ए/242, संगम विहार,साउथ दिल्ली–110062 के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 441741981977 संजय कुमार पुत्र किशनलाल निवासी मकान नं0 252, ब्लॉक ई, स्ट्रीट नम्बर 6ए संगम बिहार, देओली साउथ दिल्ली–110062 के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 614259514490 अर्जुन सिंह पुत्र किशनलाल निवासी ई–6ए/272/बी ग्राउण्ड फ्लोर, संगम बिहार, साउथ दिल्ली, देवली, साउथ दिल्ली–110080, के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1827 रकबा 0.44 है0, 1830 रकबा 0.10 है0, 1887 रकबा 0.62 है0, 1912 रकबा 0.20 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन की खातेदारी किशन पुत्र झूत्या हि0 1/3, दयाचंद पुत्र झूत्या हि0 1/3, विज्या पुत्र झूत्या हि0 1/3 जाति खटीक सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। विज्या पुत्र झूत्या लाऔलाद फौत होने के कारण उसके भाई किशन व दयाचन्द पिसरान झूत्या के वारिसान ही उत्तराधिकारी बताये है तथा खातेदार किशन पुत्र झूत्या के वारिस सायलान तथा खातेदार दयाचन्द के वारिस गैरसायल सं0 1 लगायत 5 व दावे के प्रतिवादी सं06,7 हैं। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में सायलान को बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/3 एवं गैरसायल सं01 लगायत 5 व मूल दावे के प्रतिवादी सं06,7 को बहिस्सा बराबर हि0 1/3 का खातेदार काश्तकार है। जब सायलान अपने पिता के हिस्से की भूमि उक्त विवादित आराजीयात के हि0 1/3 भाग के सहखातेदार काश्तकार साबित है। सायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। पक्षकारान के अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1827 रकबा 0.44 है0, 1830 रकबा 0.10 है0, 1887 रकबा 0.62 है0, 1912 रकबा 0.20 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन में सायलान के हिस्से तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। सायलान को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करें। सायलान को उक्त भूमि में उनके हिस्से को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)